

दिनांक-13-04-2024

थाना –उसावां

प्रेस नोट:-दिनांक-13-04-2024

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।
 - अभियुक्त के कब्जे से निर्मित / अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ श्री आलोक प्रियदर्शी के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, पुलिस अधीक्षक नगर श्री अमित किशोर श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी दातागंज श्री कृष्ण कुमार तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष उसावाँ के नेतृत्व में थाना उसावाँ पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री व शस्त्र बनाने के उपकरण तथा भारी मात्रा में नाजायज असलहों सहित 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना उसावां पुलिस द्वारा एक अभियुक्त रणवीर पुत्र सियाराम निवासी ग्राम गूरा बरेला थाना उसावाँ जनपद बदायूँ को 10 अदद देशी तमंचा जिसमें 1. 6 अदद तमंचा 315 बोर 2. 04 अदद तमंचा 12 बोर, 3. 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 4. एक कारतूस 315 बोर 5. शस्त्र बनाने के उपकरण क्रमशः-5 बट बॉडी तमंचा लोहा, 6 नाल लोहा 12 बोर, तीन नाल लोहा 315 बोर, छ लकड़ी की चाप, चार लोहे की पत्ती, एक राड लोहा होलनुमा, मूठ नुमा लोहा लगा है, तवानुना लोहे की चार प्लेट दो छोटी व दो बड़ी, 10 पीतल रॉड तार नुमा, हथोड़ी लोहा, 4 छेनी लोहा 3 सुम्मी लोहा 2 संडासी लोहा, एक आयताकार ठोस लोहे का टुकड़ा दो छोटे ठोस लोहे के टुकड़े, एक प्लास लोहा एक पाना चावी एक रिंच दो टुकड़े रेगमार्ग 25 पेंच 9 रपटे दो ट्रिगर व एक हेमर तीन V नुमा लोहे की पत्ती, दो सावुत मोमबत्ती एव दो अधजली मोमबत्ती तथा 500 ग्राम कोयला अधजला व 1 किलो ग्राम कोयला बिना जला के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 132/2024 धारा 5/25 A ACT पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही कर पेशी हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

रणवीर पुत्र सियाराम निवासी ग्राम गूरा बरेला थाना उसावाँ जनपद बदायूँ

पूछताछ का विवरण-

अवैध शस्त्र निर्माण/मरम्मत कर उन्हें आसपास के क्षेत्र में बेच कर लाभ कमाना।

घटनास्थल, दिनांक व समय-

कस्बा उसावाँ से अकबरपुर जाने वाले रोड से ग्राम राजानगला को जाने वाली सड़क पर पुलिया के किनारे बेसमेंटनुमा अधबना मकान कस्बा उसावाँ दिनांक- 13.04.2024 समय 02.30 बजे।

विवरण बरामदगी-

1. 6 अदद तमंचा 315 बोर
2. 04 अदद तमंचा 12 बोर,
3. दो जिन्दा कारतूस 12 बोर,
4. एक कारतूस 315 बोर
5. शस्त्र बनाने के उपकरण क्रमशः-5 बट बॉडी तमंचा लोहा ,6 नाल लोहा 12 वोर , तीन नाल लोहा 315 वोर ,छ लकड़ी की चाप ,चार लोहे की पत्ती ,एक राड लोहा होलनुमा ,मूठ नुमा लोहा लगा है ,तवानुमा लोहे की चार प्लेट दो छोटी व दो वडी ,10 पीतल रॉड तार नुमा, हथोडी लोहा, 4 छेनी लोहा 3 सुम्मी लोहा 2 संडासी लोहा, एक आयताकार ठोस लोहे का टुकडा दो छोटे ठोस लोहे के टुकडे, एक प्लास लोहा एक पाना चावी एक रिंच दो टुकडे रेगमार्ग 25 पेंच 9 रपटे दो ट्रिगर व एक हैमर तीन V नुमा लोहे की पत्ती, दो साबुत मोमबत्ती एव दो अधजली मोमबत्ती तथा 500 ग्राम कोयला अधजला व 1 किलो ग्राम कोयला बिना जला।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 21196/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम
- 2.मु0अ0सं0 19/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम
- 3.मु0अ0सं0 08/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम
- 4.मु0अ0सं0 203/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम
5. मु0अ0सं0 132/24 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट

सोशल मीडिया सेल,

बदायूँ।